भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 511
उत्तर देने की तारीख 24.07.2023

सांस्कृतिक-विरासत आधारित संग्रहालय खोलना

511. श्री रमेश बिन्द :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में खोले गए नए विज्ञान संग्रहालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार विभिन्न राज्यों में फैली देश की विशाल, समृद्ध और अतुल्य परंपराओं को प्रोत्साहित करने के लिए सांस्कृतिक-विरासत आधारित संग्रहालय खोलने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति, पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री
(जी. किशन रेड्डी)

(क): संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एनसीएसएम), कोलकाता ने भारत के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भारत सरकार की 'विज्ञान की संस्कृति के संवर्धन हेतु स्कीम (एसपीओसीएस)' के तहत विज्ञान शहरों/विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए विभिन्न परियोजनाएं शुरू की हैं। पिछले 03 वर्षों में खोले गए विज्ञान संग्रहालय निम्नलिखित हैं:-

i) उदयपुर विज्ञान केंद्र, त्रिपुरा- दिनांक 28.02.2021 को उद्घाटन किया गया।

ii) पालमपुर विज्ञान केंद्र, हिमाचल प्रदेश - दिनांक 14.05.2022 को उद्घाटन किया गया।

iii) उप-क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, गया, बिहार - दिनांक 20.07.2023 को उद्घाटन किया गया।

(ख) और (ग): जी, हाँ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार देश की समृद्ध ऐतिहासिक परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए अपेक्षाओं के आधार पर स्थलों पर नए पुरातात्विक संग्रहालय विकसित करने का प्रयास करता है।

एएसआई निम्नलिखित नए संग्रहालय विकसित करने पर विचार कर रहा है:

(i) सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद में पुरालेख संग्रहालय

(ii) आदिचनल्लूर स्थल संग्रहालय, तूतीकोरिन, तमिलनाडु

इसके अलावा, एएसआई देश की समृद्ध ऐतिहासिक परंपराओं के संवर्धन के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न संग्रहालयों का रखरखाव और आवधिक रूप से इनका स्तरोन्नयन कार्य करता है।

इसके अतिरिक्त, संस्कृति मंत्रालय 'संग्रहालय अनुदान स्कीम' संचालित करता है जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तर पर नए संग्रहालय को विकसित करने/स्थापित करने और मौजूदा संग्रहालय का आधुनिकीकरण/स्तरोन्नयन करने हेतु केंद्रीय/राज्य सरकार, स्वायत्त निकायों, गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

*****